<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अम्बेडकर नगर।</u>
UPAN010047312026

<u>Bail Application/766/2026</u>
दीपू उर्फ दीपक उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र पतिराम, निवासी ग्राम भदया, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर————————————————————————आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार——————————————————————————————विपक्षी

1. प्रार्थी / अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–13 / 2021, धारा–323,307 भा.द.सं. थाना–राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में गैर जमानतीय अधिपत्र पर गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

2. आवेदक / अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह मुकदमें में पूर्व से जमानत पर है। प्रार्थी रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गय था और कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया था और वह लोग घर वापस नहीं आने दे रहे थे, किसी तरह से वह उनके चंगुल से निकल कर भाग कर आया है। प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र निर्गत कर दिया गया था, जिसके लिये उसने रिकाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान् न्यायालय द्वारा निरस्त करके प्रार्थी को जेल प्रेषित कर दिया गया। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। वह दिनांक 27.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और नियत तारीख पेशी पर व्यक्तिगत रूप से व जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा। तद्नुसार जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक / अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जमानत पर रहा है तथा उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया। आवेदक / अभियुक्त दिनांक–27.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि ची रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर चला गय था और कुछ गलत लोगों के हाथ में पड़ गया था, किसी तरह से वह उनके चंगुल से निकल कर भाग कर घर आया है तथा क्षमा किये जाने की याचना की गई। आवेदक / अभियुक्त द्वारा नियत तारीख पेशी पर उपस्थित रहने व इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने कथन किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक / अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी / अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक द्वारा प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक / अभियुक्त को मु0 50,000 / –रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की दो जमानते व इतनी ही धनराशि के नवीन निजी बंन्धपत्र प्रस्तुत करने एवं इस आशय की अण्डरटेकिग प्रस्तुत करने पर कि वह नियत पेशियों पर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। उक्त शर्तो के पूरी होने के उपरान्त उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांकः–06.06.2026

(पवन कुमार शुक्ला)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
अम्बेडकर नगर।